


न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि. बनाम मालीराम जांगिड़

प्रकरण संख्या 231/2017 (धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
31.08.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से प्रस्तुत धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज यथा 13(2) नोटिस, लोन एग्रीमेन्ट, बंधक सम्पत्ति दस्तावेजादि पेश नहीं किये गये हैं।</p> <p>अतः धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	